राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिवान्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 726/2015 (209/2002), (64/1997)
दायरा तिथि 22.07.2015 (21.06.2002), (11.06.1997)
निर्णय तिथि 01.06.2017

वादीनी–
फूलकंवर बेवा पाबूसिंहजी
जाति राजपूत निवासी खिवान्दी
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–
1–स्व.ईश्वरसिंह पुत्र विजयसिंहजी के वारू–
1/1–हदनकंवर बेवा ईश्वरसिंहजी
1/2–कमोदकंवर पुत्री ईश्वरसिंहजी
2–भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिंहजी
3–मनोहरसिंह पुत्र ईश्वरसिंहजी
4–महेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंहजी
तमाम जाति राजपूत निवासी खिवान्दी
तहसील सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 01.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिवान्दी में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया, इसी प्रकार वादीनी फुलकंवर ने भी एक प्रार्थना पत्र मय न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा सिविल मूल वाद संख्या–79/2014 (708/2010), (31/1997) वादीगण–स्व. ईश्वरसिंह पुत्र विजयसिंहजी जाति राजपूत निवासी खिवान्दी के कायम मुकाम वारिसान–भगवानसिंह वगैरह बनामः प्रतिवादीनी–श्रीमती फूलकंवर बेवा पाबुसिंहजी जाति राजपूत निवासी खिवान्दी, वाद बाबत् बैचान इकरारनामा की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के संदर्भ में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 24.10.2016 की सत्यापित–प्रतियां प्रस्तुत की, जिन्हें रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप कथित मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधान के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खिवान्दी, पटवार सर्कल खिवान्दी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 995 रकबा 0.73 हेक्टर किस्म चाही–III, खसरा नं. 998 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म चाही–III, खसरा नं. 1400 रकबा 3.60 हेक्टर किस्म चाही–III, खसरा नं. 996 रकबा 0.02 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा एवं खसरा नं. 997 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म गै.मु. गुआ कुल रकबा 4.61 हेक्टर भूमि वादीनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की खातेदारी आयी हुई है, जिस पर वादीनी के पति पाबुसिंहजी द्वारा अपने जीवनकाल में काश्त करते थे, दिनांक 29.03.1995 को वादीनी के पति पाबुसिंहजी का देहान्त हो जाने के बाद वादीनी के परिवार में उक्त वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु अन्य कोई सक्षम व्यक्ति नहीं रहा, जिससे गत् वर्ष खरीफ व रबी की फसल के लिए वादीनी

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

ने वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.01 को एक वर्ष की अवधि के लिए हासिल पर काश्त करने हेतु दी थी। तत्पश्चात् एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रतिवादी सं.01 ने गत् वैशाख सुद को वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा वादीनी को सुपुर्द कर दिया था, उसके बाद प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं रहा है।

(2) कि वादीनी ने अपने वादपत्र में यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को इस वर्ष भी काश्त करने हेतु हासिल पर देने हेतु वादीनी से मांग की, लैकिन वादीनी द्वारा काश्त हेतु अन्य व्यवस्था कर देने से मना करने पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये व प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकिया दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर हर हालत में अन्य किसी व्यक्ति या वादीनी को काश्त करने नहीं देंगे। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीनी की एकमात्र कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, परन्तु वादीनी की उक्त वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा काश्त करने एवं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दखलंदाजी/हस्तक्षेप करने पर आमादा है जिन्हें ऐसा करने से सार्वकालिक स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना अत्यावश्यक है। इसलिए प्रार्थीनी की यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने अन्य किसी प्रतिनिधि के जरिए वादीनी की उक्त वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि के कब्जे काश्त में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी प्रकार से दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करे। वादीनी ने अपने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2052–55 व खसरा गिरदावरी संवत् 2052–53 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(3) कि कथित वाद पत्रावली पंजीबद्ध की गई। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों व तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.01 ने वादीनी व उनके पति स्व.पाबूसिंह पुत्र डूंगरसिंहजी से उनके जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि कीमतन रूपये 1,11,000/– में प्रतिवादी सं.01 ईश्वरसिंह ने खरीद की थी जिसके पेटे प्रतिवादी सं.01 से एडवांस में रूपये 5,000/– रोकड प्राप्त कर व भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादी सं.01 ईश्वरसिंह को सुपुर्द कर इनके पक्ष में दिनांक 16.08.1985 को इकरारनामा निष्पादित किया था, तत्पश्चात् प्रतिवादी सं.01 से प्रतिफल की शेष चुकती राशि वादीनी व उनके पति स्व.पाबुसिंहजी ने प्राप्त कर दिनांक 08.12.1994 को लिखत बैचान इकरारनामा निष्पादित कर मूल लिखत बैचान इकरारनामा प्रतिवादी सं.01 ईश्वरसिंह को सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि पर लिखत इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 से आज तक वादीनी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर लिखत इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 से प्रतिवादीगण का ही एकमात्र कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु लाखों रूपये प्रतिवादीगण ने खर्च किए है। वादीनी बदनियति व धोखाधडी से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अन्य किसी को ऊंची कीमत पर बैचान करना चाहती है, वादीनी की नियत में फर्क आ जाने से लिखित बैचान इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 व 08.12.1994 की पालना में वादग्रस्त कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज प्रतिवादी सं.01 के हक में बावजूद लिखित सूचना के निष्पादित नहीं करने से प्रतिवादी सं.01 ने वादीनी के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली के यहां सिविल वाद ईश्वरसिंह बनामः फूलकंवर वाद–बाबत् संविदा विनिर्दिष्ट पालना हेतु प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर लेने, लिखित बैचान इकरारनामा दिनांक 08.12.1994 निष्पादित किए जाने व कब्जा के अभाव में वादीनी द्वारा उक्त वादपत्र गलत, झूंठे व बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को बेवजह परेशान किया है, अतः वादीनी से प्रतिवादीगण को वाद–व्यय के

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अलावा विशेष हर्जाना राशि रूपये 10,000/– दिलाये जाने का आदेश पारित कर वाद वादीनी खारिज फरमावें। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के साक्ष्य–दस्तावेज में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली के यहां विचारार्थ सिविल वाद ईश्वरसिंह बनामः फूलकंवर वाद–बाबत् संविदा विनिर्दिष्ट पालना हेतु की सत्यापित प्रति एवं इकरारनामा दिनांक 08.12.1994, रसीदात, मृत्यु प्रमाण पत्र पाबुसिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र भीमसिंह व पर्चा लगान इत्यादि की छाया प्रतियां पेश की गई है।

(4) कि प्रश्नगत् मामले में निम्नलिखित तनकियात बिन्दु कायम किए गये–

1–आया वादीनी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है?.... (वादीनी)

2–आया प्रतिवादी ने वादीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 995, 998, 1400, 996, 997 कुल रकबा 4.61 हेक्टर की कृषि भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 को खरीद कर एवं कब्जा प्रतिवादी को सुपुर्द किया?....(प्रतिवादी)

3–अनुतोष ?

परन्तुक, प्रश्नगत् मामले की कथित पत्रावली के अवलोकन से हमने पाया कि गत् आदेश तालिका दिनांक 10.05.2005 से लगाय आदिनांक तक यह पत्रावली साक्ष्य–शहादत के अभाव में विचारार्थ रही है लैकिन साक्ष्य–शहादत पूर्ण नहीं होना प्रथमतः प्राकृतिक न्याय (Natural Justic) के विरूद्ध प्रतीत नहीं होता है। चूंकि राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु वादीनी द्वारा बरोज आज केम्प में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न साक्ष्य–दस्तावेज न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा सिविल मूल वाद संख्या–79/2014 (708/2010), (31/1997) वादीगणं– स्व.ईश्वरसिंह के कायम मुकाम वारिसान–भगवानसिंह वगैरह बनामः प्रतिवादीनी–श्रीमती फूलकंवर में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 24.10.2016 तथा पटवारी हल्का खिवान्दी की तथाकथित जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड यानि कि वादपत्र में अभिव्यक्त वादीनी के कथनों व साक्ष्य दस्तावेजों इसी प्रकार जवाबदावा में अभिव्यक्त प्रतिवादीगण के कथनों व साक्ष्य दस्तावेजों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु एवं प्राकृतिक न्याय (Natural Justic) के तहत उल्लेखित तनकियात बिन्दुओं पर विश्लेषण, विवेचनाऐं व निष्कर्ष दिया जाना उचित समझते है–

तनकी बिन्दु सं.01–आया वादीनी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है?.... (वादीनी)

इस तनकी बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व वादीनी का रहा है, जिसके तहत वादीनी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2052–55 व खसरा गिरदावरी संवत् 2052–53 की प्रमाणित प्रतियों में दर्ज प्रविष्टि अनुसार एवं पटवारी हल्का खिवान्दी की कथित जांच रिपोर्ट के आधारित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 995, 998, 1400, 996, 997 कुल रकबा 4.61 हेक्टर वादीनी के नाम आदिनांक तक राजस्व रेकर्ड में कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रही है। इस प्रकार वादपत्र में अभिव्यक्त वादीनी के कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है। इसलिए उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रहते प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने अन्य किसी प्रतिनिधि के जरिए वादीनी के कब्जे काश्त में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी प्रकार से दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पाने की प्रथमतः कानूनी हकदार बनती है। अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप यह तनकी बिन्दु बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

लगातार–4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2017

तनकी बिन्दु सं.02–आया प्रतिवादी ने वादीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 995, 998, 1400, 996, 997 कुल रकबा 4.61 हेक्टर की कृषि भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 को खरीद कर एवं कब्जा प्रतिवादी को सुपुर्द किया?....(प्रतिवादी)

इस तनकी बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण का रहा है, जिसके संदर्भ में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में मुख्यतः प्रश्नगत् व निष्पादित इकरारनामा दिनांक 16.08.1985 व 08.12.1994 में वर्णित तथ्यों के आधारित ही कथनों व तथ्यों को अभिव्यक्त किया है, परन्तु निष्पादित इकरारनामा दिनांक 08.12.1994 में वर्णित संविदा की विनिर्दिष्ट पालना बाबत इस पत्रावली अन्तर्गत वर्णित वादीपक्ष स्व.ईश्वरसिंह पुत्र विजयसिंहजी राजपूत निवासी खिवान्दी के कायम मुकाम–भगवानसिंह वगैरह द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुमेरपुर के यहां सिविल मूल वाद संख्या–79/2014 (708/2010), (31/1997) वादीगण–स्व.ईश्वरसिंह के कायम मुकाम–भगवानसिंह वगैरह बनामः प्रतिवादीनी–श्रीमती फूलकंवर दायर करवाया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 24.10.2016 के अनुसार "वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बैचान इकरारनामा दिनांक 08.12.1994 की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना बाबत् खारिज किया जाता है, खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।" के आशय का निर्णय पारित किया है अर्थात निष्पादित इकरारनामा दिनांक 08.12.1994 में वर्णित संविदा की विनिर्दिष्ट पालना बाबत दावा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुसार वादीनी के कब्जे काश्त की उल्लेखित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि के बारे में प्रतिवादीगण का कोई विधिक हक–अधिकार नहीं रह जाता है। फलतः उक्त तनकी बिन्दु तथ्यों को साबित कराने में प्रतिवादीगण असफल रहने से कथित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः यह तनकी बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

तनकी बिन्दु सं.03–अनुतोष ?

चूंकि, तनकी बिन्दु सं.01 व 02 बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जा चुकी है। इसलिए वादीनी का कथित वादपत्र बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत होने से इस पत्रावली अन्तर्गत अन्य सहायता या अनुतोष भी वादीनी पाने की हकदार बनती है। अतः यह तनकी बिन्दु बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकियात बिन्दुओं के बारे में किए गये निष्कर्ष के बतौर वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधान के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत होने से इसे स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा खिवान्दी, पटवार सर्कल खिवान्दी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 995, 998, 1400, 996, 997 कुल रकबा 4.61 हेक्टर में प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने अन्य किसी प्रतिनिधि के जरिए वादीनी के कब्जे काश्त में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी प्रकार से दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 01.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–खिवान्दी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner